संख्या- 132 /2024/2356/24-27-10001/268/2021-10

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (याँत्रिक)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांकः 23 सितम्बर, 2024**

विषय- सिंचाई विभाग की कार्यशालाओं में कार्यरत औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 हेतु उत्साह प्रेरक अनुग्रह अनुदान की धनराशि स्वीकृत किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-4661/स0एवंसा0प्र0/उत्साह प्रेरक अन0, दिनांक 13.06.2024, संख्या-6584/सएवंसाप्र/उत्साह प्रेरक अनु0, दिनांक 31.08.2024 एवं संख्या-6718/स0एवंसा0प्र0/उत्साह प्रेरक अनु0, दिनांक 06.09.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-4220/91-27-सिं-6/4का.शा./91, दिनांक-31.10.1991 में उल्लिखित शर्तों एवं इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अधीन प्रदेश के अन्दर कार्यरत सिंचाई विभाग की सभी कार्यशालाएं, जो लाभ की स्थिति में हैं, के औद्योगिक अधिष्ठान के अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्साह प्रेरक अनुग्रह अनुदान की धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 311 कार्मिकों के लिए **रू0 18.56 लाख**, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 296 कार्मिकों के लिए **रू0 18.20 लाख** एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 267 कार्मिकों के लिए **रू0 17.12 लाख**, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 53,88,000.00 (रूपये तिरपन लाख अट्ठासी हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) नई वेतन संरचना के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू0 4800/- तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 13500/- से कम है) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों, जिन्हें उपरोक्त ग्रेड वेतन/वेतनमान से उच्च ग्रेड वेतन अथवा समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्थिति (स्टेट्स) में परिवर्तन न हुआ हो, को भी उत्साह प्रेरक अनुग्रह अनुदान अनुमन्य होगा।

(2) उत्साह प्रेरक अनुदान का भुगतान संगत वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित कार्यशाला द्वारा अर्जित किए गए लाभ का 40 प्रतिशत अथवा सम्बन्धित कार्मिक की कुल परिलब्धियों के 8.33 प्रतिशत में से, जो भी कम होगा, की दर से देय होगा, परन्तु इसकी धनराशि रू0 6908.00 से अधिक नहीं होगी।

(3) उपर्युक्त उत्साह प्रेरक अनुदान कार्यप्रभारित/दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों को देय नहीं है।

(4) उपरोक्त अनुदान ऐसे कार्मिकों को देय नहीं है, जिन्हें संगत वर्ष में अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप कोई दण्ड दिया गया है और ऐसे कार्मिकों को भी देय नहीं है, जिन्होने संगत वर्ष में एक वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है।

(5) कार्मिक कों परिलब्धियों में मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, परियोजना भत्ता एवं विशेष भत्ता सम्मिलित नहीं किया जाना है।

-2 ....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- सिंचाई विभाग की कार्यशालाओं में कार्यरत औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मचारियों को उत्साह प्रेरक अनुग्रह अनुदान उक्त संदर्भित पत्र दिनांक-13.06.2024, 31.08.2024 एवं 06.09.2024 के साथ संलग्न विस्तृत विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 हेतु स्वीकृत किया जाएगा।

3- उपरोक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंकित अनुदान सं0-95 लेखाशीर्षक 2701-मध्यम सिंचाई-आयोजनेत्तर-02-मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक- 001-निदेशन तथा प्रशासन-07-कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग की कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु व्यवस्था) के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित कोषाधिकारी, द्वारा-प्रमुख अभियन्ता (याँत्रिक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. कार्य प्रबन्धक, सिंचाई कार्यशाला, झाँसी, बरेली, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर तथा मेरठ, द्वारा-प्रमुख अभियन्ता (याँत्रिक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/सिंचाई अनुभाग-9
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।